2015 का विधेयक संख्यांक 252

[दि आर्बिट्रेशन एंड कनसिलिएशन (अमेंडमेंट) बिल, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का
संशोधन करने के लिए
अध्यादेश

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन।

1996 का 26

2. माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की 5 धारा 2 में,—

(I) उपधारा (1) में,—

(अ) खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ङ) ''न्यायालय'' से,—

(i) अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न किसी माध्यस्थम् के मामले में, किसी जिले में आरंभिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा उच्च न्यायालय भी है, जिसे अपनी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करते हुए माध्यस्थम् की विषय-वस्तु वाले प्रश्नों का, यदि वे किसी वाद की विषय-वस्तु हों, विनिश्चय करने की अधिकारिता प्राप्त है किंतु ऐसे प्रधान सिविल न्यायालय से अवर श्रेणी का कोई सिविल न्यायालय या कोई लघुवाद न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आता है;

(ii) अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् के मामले में, ऐसा उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जिसे अपनी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करते हुए माध्यस्थम् की विषय-वस्तु वाले प्रश्नों का, यदि वे किसी वाद की विषय-वस्तु हों, विनिश्चय करने की अधिकारिता प्राप्त है, और अन्य मामलों में, ऐसा उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जिसे उस उच्च न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालयों की डिक्रियों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने की अधिकारिता प्राप्त है;'

(आ) खंड (च) के उपखंड (iii) में, ''ऐसी कोई कंपनी या'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसा कोई'' शब्द रखे जाएंगे;

(II) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु तत्प्रतिकूल किसी करार के अधीन रहते हुए, धारा 9, धारा 27 और धारा 37 की उपधारा (1) के खंड (क) तथा उपधारा (3) के उपबंध अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् को भी लागू होंगे, भले ही माध्यस्थम् का स्थान भारत के बाहर हो और ऐसे स्थान में किया गया या किए जाने वाला माध्यस्थम् पंचाट इस अध्यादेश के भाग 2 के उपबंधों के अधीन प्रवर्तनीय और मान्य हो।''।

धारा 7 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) के खंड (ख) में, ''दूरसंचार के ऐसे अन्य साधनों में'' शब्दों के पश्चात् ''जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से संसूचना भी है'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 8 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(1) कोई न्यायिक प्राधिकारी, जिसके समक्ष किसी ऐसे मामले में अनुयोग लाया जाता है, जो किसी माध्यस्थम् करार का विषय है, यदि माध्यस्थम् करार का कोई पक्षकार या उसके माध्यम से या उसके अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति, उस तारीख तक, जो विवाद के सार पर उसका प्रथम कथन प्रस्तुत करने के पश्चात् की न हो, इस प्रकार आवेदन करता है, तो वह उच्चतम न्यायालय या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, पक्षकारों को माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट करेगा जब तक कि उसका यह निष्कर्ष न हो कि प्रथमदृष्ट्या कोई विधिमान्य माध्यस्थम् करार विद्यमान नहीं है;''

(ii) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु जहां मूल माध्यस्थम् करार या उसकी कोई प्रमाणित प्रति उपधारा (1) के अधीन माध्यस्थम् के लिए निर्देश करने वाले पक्षकार के पास उपलब्ध नहीं है और उक्त करार अथवा उसकी प्रमाणित प्रति उस करार का दूसरे पक्षकार रखे हुए है, वहां इस प्रकार आवेदन करने वाला पक्षकार ऐसा आवेदन माध्यस्थम् करार की प्रति तथा न्यायालय से इस बात की प्रार्थना करने की अर्जी के साथ फाइल करेगा कि दूसरे पक्षकार से मूल माध्यस्थम् करार या उसकी सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रति न्यायालय के समक्ष पेश करने की अपेक्षा की जाए।''।

धारा 9 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 9 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(2) जहां, माध्यस्थम् कार्यवाहियां प्रारंभ होने के पूर्व, न्यायालय उपधारा (1) के अधीन संरक्षा के किसी अंतरिम उपाय का आदेश पारित करता है, वहां माध्यस्थम् कार्यवाहियां ऐसे आदेश की

तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो न्यायालय अवधारित करे, प्रारंभ की जाएंगी।

(3) माध्यस्थम् अधिकरण का एक बार गठन हो जाने पर, न्यायालय उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि न्यायालय का यह निष्कर्ष न हो कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण धारा 17 के अधीन उपबंधित उपचार संभवत: प्रभावकारी न हो पाए।''।

धारा 11 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

(i) उपधारा (4), उपधारा (5) और उपधारा (6) में, ''मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति या संस्था'' शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, ''यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति या संस्था'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थपित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(6क) उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन किसी आवेदन पर विचार करते समय, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, किसी माध्यस्थम् करार के विद्यमान होने की परीक्षा करने तक ही सीमित रहेगा।

(6ख) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था के पदाभिधान को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं माना जाएगा।'';

(iii) उपधारा (7) में, ''मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था को सौंपे गए किसी विषय पर कोई विनिश्चय अंतिम होगा'' शब्दों के स्थान पर ''यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था को सौंपे गए किसी विषय पर कोई विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील, जिसके अंतर्गत लेटर्स पेटेंट अपील भी है, नहीं होगी'' शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उपधारा (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(8) किसी मध्यस्थ की नियुक्ति करने के पूर्व, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था धारा 12 की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार और—

(क) पक्षकारों के करार द्वारा मध्यस्थ के लिए अपेक्षित किन्हीं अर्हताओं को; और

(ख) प्रकटन की अंतर्वस्तुओं और अन्य विचारणाओं को, जिनसे किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति सुनिश्चित किए जाने की संभावना है,

ध्यान में रखते हुए भावी मध्यस्थ से लिखित में प्रकटन की ईप्सा करेगा;''

(v) उपधारा (9) में, ''भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था'' शब्दों के स्थान पर ''उच्चतम न्यायालय या उस न्यायालय द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था'' शब्द रखे जाएंगे;

(vi) उपधारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(10) यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ऐसी स्कीम बना सकेगा जो उक्त न्यायालय, उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) द्वारा उसे सौंपे गए विषयों के निपटारे के लिए, समुचित समझे।''

(vii) उपधारा (11) में, ''जहां विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों या उनके पदाभिहितों से उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन एक से अधिक बार अनुरोध किया गया है, वहां केवल वही न्यायमूर्ति या उसका पदाभिहित ही'' शब्दों के स्थान पर ''जहां उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन विभिन्न उच्च न्यायालयों या उनके पदाभिहितों से एक से अधिक बार अनुरोध किया गया है, वहां केवल वही उच्च न्यायालय या उसका पदाभिहित ही'' शब्द रखे जाएंगे;

(viii) उपधारा (12) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

'(12) (क) जहां उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7), उपधारा (8) और उपधारा (10) में निर्दिष्ट विषय किसी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् में उद्भूत होते हैं, वहां उन उपधाराओं में ''यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय'' के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ''उच्चतम न्यायालय'' के प्रति निर्देश है; और

(ख) जहां उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7), उपधारा (8) और उपधारा (10) में निर्दिष्ट विषय किसी अन्य माध्यस्थम् में उद्भूत होते हैं वहां उन उपधाराओं में, ''यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय'' के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे ''उच्च न्यायालय'' के प्रति निर्देश है जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट प्रधान सिविल न्यायालय स्थित है और जहां स्वयं उच्च न्यायालय ही उस खंड में निर्दिष्ट न्यायालय है, वहां उस उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश है।'

(ix) उपधारा (12) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(13) किसी मध्यस्थ या किन्हीं मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए इस धारा के अधीन किए गए किसी आवेदन का निपटारा, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या उनके पदाभिहित द्वारा यथासंभव शीघ्रता के साथ किया जाएगा और उस मामले का निपटारा विरोधी पक्षकार पर सूचना की तामील किए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा।

(14) चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर विचार करने के पश्चात् माध्यस्थम् अधिकरण की फीस के और माध्यस्थम् अधिकरण को उसके संदाय की रीति के अवधारण के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय ऐसे विनियम विरचित कर सकेगा, जो आवश्यक हों।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह उपधारा अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् को और ऐसे मामले में जहां पक्षकार किसी माध्यस्थम् संस्था के नियमों के अनुसार फीस के अवधारण के लिए सहमत हैं, उन माध्यस्थमों (अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न) में लागू नहीं होगी।''।

नई धारा 11क का अंत:स्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

चौथी अनुसूची का संशोधन करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।

''11क. (1) यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, चौथी अनुसूची का संशोधन कर सकेगी और तदनुसार चौथी अनुसूची को संशोधित समझा जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की जाने वाली प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना के जारी किए जाने का अनुमोदन न करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो, यथास्थिति, अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही जारी की जाएगी, जिस पर संसद् के दोनों सदन सहमत हुए हैं।''।

धारा 12 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(1) जहां किसी व्यक्ति से किसी मध्यस्थ के रूप में उसकी संभावित नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव किया जाता है, वहां वह उन परिस्थितियों का,—

(क) जैसे कि किसी भी पक्षकार के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध अथवा किसी

भी पक्षकार अथवा विवादग्रस्त विषय-वस्तु के संबंध में हित होने का, चाहे वह वित्तीय, कारोबारी, वृत्तिक या किसी अन्य प्रकार का हो, जिससे कि उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में उचित शंकाएं पैदा होने की संभावनाएं हैं; और

(ख) जिनसे माध्यस्थम् के प्रति पर्याप्त समय देने की उसकी योग्यता और विशिष्टतया संपूर्ण माध्यस्थम् की बारह मास की अवधि के भीतर पूरा करने की उसकी योग्यता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है,

लिखित रूप में प्रकटन करेगा।

स्पष्टीकरण 1—पांचवीं अनुसूची में कथित आधार इस बात का अवधारण करने में मार्गदर्शन करेंगे कि क्या ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनसे मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह पैदा होते हैं।

स्पष्टीकरण 2—यह प्रकटन उस व्यक्ति द्वारा छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप में किया जाएगा।'';

(ii) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(5) तत्प्रतिकूल किसी पूर्व करार में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका पक्षकारों या काउन्सेल या विवाद की विषय-वस्तु के साथ संबंध, सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में से किसी के अधीन आता है, मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अपात्र होगा:

परन्तु पक्षकार, उनके बीच विवादों के उत्पन्न होने के पश्चात्, लिखित रूप में अभिव्यक्त करार द्वारा इस उपधारा के लागू होने का अधित्यजन कर सकेंगे:

परन्तु यह और कि यह उपधारा उन मामलों को लागू नहीं होगी जहां मध्यस्थ को माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015 के प्रारंभ पर या उसके पूर्व नियुक्त किया जा चुका है।''।

धारा 14 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में, आरंभिक भाग में ''पर्यवसित हो जाएगा'' शब्दों के स्थान पर ''पर्यवसित हो जाएगा और उसके स्थान पर दूसरे मध्यस्थ को रख दिया जाएगा'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 17 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

10. मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा आदिष्ट अंतरिम उपाय।

''17. (1) कोई पक्षकार, माध्यस्थम् की कार्यवाहियों के दौरान या माध्यस्थम् अधिनिर्णय के किए जाने के पश्चात् किंतु धारा 36 के अनुसार उसे प्रवर्तित किए जाने के पूर्व, किसी समय माध्यस्थम् अधिकरण को—

(i) माध्यस्थम् की कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए, किसी अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति के लिए संरक्षक की नियुक्ति करने के लिए; या

(ii) निम्नलिखित विषयों में से किसी के संबंध में संरक्षा के अंतरिम उपाय के लिए, अर्थात्:—

(क) ऐसे किसी माल के, जो माध्यस्थम् करार की विषय-वस्तु है, परिरक्षण, अंतरिम अभिरक्षा या विक्रय के लिए;

(ख) माध्यस्थम् में विवादित रकम प्रतिभूत करने के लिए;

(ग) ऐसी किसी संपत्ति या वस्तु के, जो माध्यस्थम् में विवाद की विषय-वस्तु है, या जिसके बारे में उसमें कोई प्रश्न उद्भूत हो सकता है, निरोध, परीक्षण या निरीक्षण के लिए और पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए किसी व्यक्ति को किसी पक्षकार में के कब्जे में की किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए अथवा ऐसे कोई नमूने

लेने या कोई संप्रेक्षण करने या किसी विचारण का प्रयोग करने हेतु, जो संपूर्ण जानकारी या साक्ष्य अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हो, प्राधिकृत करने के लिए;

(घ) अंतरिम व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के लिए;

(ङ) संरक्षा के ऐसे अन्य अंतरिम उपाय के लिए, जो माध्यस्थम् अधिकरण को न्यायोचित और सुगम प्रतीत हो,

आवेदन कर सकेगा और माध्यस्थम् अधिकरण को आदेश करने की वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो न्यायालय को उसके समक्ष की किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए या उनके संबंध में प्राप्त हैं।

(2) धारा 37 के अधीन किसी अपील में पारित किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी आदेश को सभी प्रयोजनों के लिए न्यायालय का आदेश समझा जाएगा और वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन उसी रीति से प्रवर्तनीय होगा मानो वह न्यायालय का कोई आदेश हो।''। 1908 का 5

धारा 23 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(2क) प्रत्यर्थी भी, अपने मामले के समर्थन में, प्रतिदावा प्रस्तुत कर सकेगा या मुजराई का अभिवाक् कर सकेगा जिसका न्यायनिर्णयन, यदि ऐसा प्रतिदावा या ऐसी मुजराई माध्यस्थम् करार की परिधि के अंतर्गत आती है, माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किया जाएगा।''।

धारा 24 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु यह और कि माध्यस्थम् अधिकरण यथासंभव साक्ष्य की प्रस्तुति के लिए या दिन प्रतिदिन के आधार पर मौखिक बहस के लिए मौखिक सुनवाई करेगा और जब तक पर्याप्त हेतुक प्रस्तुत न किया जाए कोई स्थगन मंजूर नहीं करेगा तथा बिना किसी पर्याप्त कारण के स्थगन की ईप्सा करने वाले पक्षकार पर खर्चे, जिनके अंतर्गत निदर्श खर्चे भी हैं, अधिरोपित कर सकेगा।''।

धारा 25 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 25 के खंड (ख) में, ''कार्यवाहियों को चालू रखेगा'' शब्दों के पश्चात्, ''और प्रत्यर्थी के ऐसे प्रतिरक्षा कथन को फाइल करने के अधिकार को इस रूप में मानने का विवेकाधिकार होगा मानो कि वह समपहृत हो गया है'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 28 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(3) माध्यस्थम् अधिकरण, किसी पंचाट का विनिश्चय और उसे करते समय, सभी मामलों में, संविदा के निबंधनों और संव्यवहार को लागू व्यापार प्रथाओं को ध्यान में रखेगा।''।

नई धारा 29क और धारा 29ख का अंत:स्थापन।

15. मूल अधिनियम की धारा 29 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

माध्यस्थम् पंचाट की समय-सीमा।

''29क. (1) पंचाट, माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा निर्देश ग्रहण किए जाने की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, माध्यस्थम् अधिकरण के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस तारीख को निर्देश ग्रहण कर लिया है जिसको, यथास्थिति, मध्यस्थ या सभी मध्यस्थों ने अपनी नियुक्ति की सूचना लिखित में प्राप्त कर ली है।

(2) यदि पंचाट उस तारीख से, जिसको माध्यस्थम् अधिकरण निर्देश ग्रहण करता है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाता है, तो माध्यस्थम् अधिकरण अतिरिक्त फीस की उतनी रकम प्राप्त करने का हकदार होगा जितनी पक्षकारों के बीच करार पाई जाए।

(3) पक्षकार, सम्मति द्वारा, पंचाट करने के लिए उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि को छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेंगे।

(4) यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि या उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर पंचाट नहीं किया जाता है तो मध्यस्थ (मध्यस्थों) का समादेश, जब तक कि न्यायालय द्वारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व या उसके पश्चात् उस अवधि को बढ़ा न दिया गया हो, पर्यवसित हो जाएगा:

परन्तु यदि इस उपधारा के अधीन अवधि बढ़ाए जाने के समय न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि कार्यवाहियों में विलंब माध्यस्थम् अधिकरण के कारण हुआ माना जा सकता है तो वह ऐसे विलंब के प्रत्येक मास के लिए मध्यस्थ (मध्यस्थों) की फीस में पांच प्रतिशत से अनधिक तक की कमी किए जाने का आदेश कर सकेगा।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट अवधि का विस्तारण किसी भी पक्षकार के आवेदन पर किया जा सकेगा और केवल पर्याप्त कारण होने पर तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर ही, जो न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाएं, मंजूर किया जा सकेगा।

(6) उपधारा (4) में निर्दिष्ट अवधि का विस्तारण करते हुए, न्यायालय एक या सभी मध्यस्थों को प्रतिस्थापित करने के लिए स्वतंत्र होगा और यदि एक या सभी मध्यस्थों को प्रतिस्थपित किया जाता है, तो माध्यस्थम् की कार्यवाहियां उस प्रक्रम से जिस प्रक्रम पर वें हैं और पहले से अभिलेखगत साक्ष्य और सामग्री के आधार पर जारी रहेंगी और इस धारा के अधीन नियुक्त मध्यस्थ (मध्यस्थों) के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्हें उक्त साक्ष्य और सामग्री प्राप्त हो गई है।

(7) इस धारा के अधीन मध्यस्थ (मध्यस्थों) के नियुक्त किए जाने की दशा में, इस प्रकार पुनर्गठित माध्यस्थम् की कार्यवाहियों को पूर्व में नियुक्त माध्यस्थम् अधिकरण की क्रमागत कार्यवाहियां समझा जाएगा।

(8) न्यायालय इस धारा के अधीन किन्हीं भी पक्षकारों पर वास्तविक या निदर्श खर्च अधिरोपित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(9) उपधारा (5) के अधीन फाइल किए गए आवेदन का निपटारा न्यायालय द्वारा यथा संभव शीघ्रता के साथ किया जाएगा और मामले का निपटारा विरोधी पक्षकार पर सूचना की तामील किए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा।

त्वरित प्रक्रिया।

29ख. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माध्यस्थम् करार के पक्षकार, माध्यस्थम् अधिकरण की नियुक्ति के पूर्व या के समय, किसी भी प्रक्रम पर, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट त्वरित प्रक्रिया द्वारा अपने विवाद का समाधान करने के लिए लिखित में करार कर सकेंगे।

(2) माध्यस्थम् करार के पक्षकार, त्वरित प्रक्रिया द्वारा विवाद का समाधान कराने का करार करते समय इस बात के लिए सहमत हो सकते हैं कि माध्यस्थम् अधिकरण में ऐसा एकल मध्यस्थ होगा जिसे पक्षकारों द्वारा चुना जाएगा।

(3) माध्यस्थम् अधिकरण, उपधारा (1) के अधीन माध्यस्थम् की कार्यवाहियों के संचालन के समय निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, अर्थात्:—

(क) माध्यस्थम् अधिकरण, पक्षकारों द्वारा फाइल किए गए लिखित अभिवाकों, दस्तावेजों और निवेदनों के आधार पर विवाद का विनिश्चय किसी मौखिक सुनवाई के बिना, करेगा;

(ख) माध्यस्थम् अधिकरण को पक्षकारों से, उनके द्वारा फाइल किए गए अभिवाकों और दस्तावेजों के अलावा, कोई अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण मांगने की शक्ति होगी;

(ग) यदि सभी पक्षकार अनुरोध करें अथवा यदि माध्यस्थम् अधिकरण कतिपय मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए मौखिक सुनवाई करना आवश्यक समझता है तो केवल तभी मौखिक सुनवाई की जा सकेगी;

(घ) यदि मौखिक सुनवाई की जाती है तो माध्यस्थम् अधिकरण किन्हीं तकनीकी औपचारिकताओं से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा और ऐसी प्रक्रिया अंगीकार कर सकेगा, जो वह मामले के शीघ्र निपटारे के लिए समुचित समझे।

(4) इस धारा के अधीन पंचाट उस तारीख से, जिसको माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा निर्देश ग्रहण किया जाता है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(5) यदि पंचाट उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो धारा 29क की उपधारा (3) से उपधारा (9) के उपबंध कार्यवाहियों को लागू होंगे।

(6) मध्यस्थ को संदेय फीस और फीस के संदाय की रीति ऐसी होगी, जो मध्यस्थ और पक्षकारों के बीच करार पाई जाए।''।

धारा 31 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 31 में,—

(i) उपधारा (7) के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ख) उस राशि पर, जिसका संदाय किए जाने का माध्यस्थम् पंचाट द्वारा निदेश दिया गया है, जब तक कि पंचाट में अन्यथा निदेश न दिया गया हो, पंचाट की तारीख से उस राशि का संदाय किए जाने की तारीख तक, पंचाट की तारीख को लागू ब्याज की वर्तमान दर से दो प्रतिशत उच्चतर दर पर ब्याज लगेगा।

स्पष्टीकरण—''ब्याज की वर्तमान दर'' पद का वही अर्थ है जो ब्याज अधिनियम, 1978 की धारा 2 के खंड (ख) में उसका है।'; 1978 का 14

(ii) उपधारा (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(8) जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न पाया जाए, माध्यस्थम् का खर्च माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा धारा 31क के अनुसार नियत किया जाएगा।''।

नई धारा 31क का अंत:स्थापन।

17. मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

खर्चों के लिए शासनतंत्र।

'31क. (1) किसी माध्यस्थम् कार्यवाही या इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध के अधीन माध्यस्थम् से तात्पर्यित किसी कार्यवाही के संबंध में न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण को, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित का अवधारण करने का विवेकाधिकार होगा— 1908 का 5

(क) क्या एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को खर्च संदेय हैं;

(ख) ऐसे खर्चों की रकम; और

(ग) ऐसे खर्चों का संदाय कब किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, ''खर्चों'' से निम्नलिखित के संबंध में युक्तियुक्त खर्च अभिप्रेत हैं—

(i) मध्यस्थों, न्यायालयों और साक्षियों की फीस और व्यय;

(ii) विधिक फीस और व्यय;

(iii) माध्यस्थम् का पर्यवेक्षण करने वाली संस्था की कोई प्रशासनिक फीस; और

(iv) माध्यस्थम् या न्यायालय की कार्यवाहियों और माध्यस्थम् पंचाट के संबंध में उपगत कोई अन्य व्यय।

(2) यदि न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण खर्चों के संदाय के बारे में कोई आदेश करने का विनिश्चय करता है तो —

(क) साधारण नियम यह है कि असफल पक्षकार को खर्चों का संदाय सफल पक्षकार को करने का आदेश दिया जाएगा; या

(ख) न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से कोई भिन्न आदेश किया जा सकेगा।

(3) न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण, खर्चों का अवधारण करने में सभी परिस्थितियों का ध्यान रखेगा, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(क) सभी पक्षकारों का आचरण;

(ख) क्या पक्षकार मामले में भागत: सफल हुआ है; और

(ग) क्या ऐसा कोई तुच्छ प्रतिदावा किया था जिसके कारण माध्यस्थम् की कार्यवाहियों में विलंब हुआ है; और

(घ) क्या विवाद का निपटारा करने के लिए कोई युक्तियुक्त प्रस्ताव एक पक्षकार द्वारा किया गया है और दूसरे पक्षकार द्वारा उससे इंकार कर दिया गया है।

(4) न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण इस धारा के अधीन कोई आदेश कर सकेगा जिसके अंतर्गत ऐसा आदेश भी है कि पक्षकार निम्नलिखित का संदाय करेगा:—

(क) दूसरे पक्षकार के कोई आनुपातिक खर्चे;

(ख) दूसरे पक्षकार के खर्चों के संबंध में कथित कोई रकम;

(ग) केवल एक निश्चित तारीख से एक निश्चित तारीख तक के खर्चे;

(घ) कार्यवाहियों के आरंभ होने के पूर्व उपगत खर्चे;

(ङ) कार्यवाहियों में किए गए विशिष्ट उपायों से संबंधित खर्चे;

(च) कार्यवाहियों के केवल किसी सुभिन्न भाग से संबंधित खर्चे; और

(छ) एक निश्चित तारीख से एक निश्चित तारीख तक के खर्चों पर ब्याज।

(5) ऐसा करार, जिसका प्रभाव यह है कि पक्षकार को माध्यस्थम् के संपूर्ण खर्चों या उसके भाग का किसी भी दशा में संदाय करना होगा केवल तभी विधिमान्य होगा यदि ऐसा करार प्रश्नगत विवाद के पैदा होने के पश्चात् किया जाता है।'।

धारा 34 का संशोधन।

18. मूल अधिनियम की धारा 34 में,—

(I) उपधारा (2) के खंड (ख) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण 1**—किसी शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध केवल तभी होगा, यदि—

(i) पंचाट का किया जाना कपट या भ्रष्टाचार द्वारा उत्प्रेरित है या प्रभावित किया गया है अथवा वह धारा 75 या धारा 81 के अतिक्रमण में है; या

(ii) वह भारतीय विधि की मूलभूत नीति के उल्लंघन में है; या

(iii) वह नैतिकता या न्याय की अत्यंत आधारभूत धारणा के विरोध में है।

स्पष्टीकरण 2—शंका को दूर करने के लिए, इस बात की जांच कि भारतीय विधि की मूलभूत नीति का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं, विवाद के गुणागुण के पुनर्विलोकन को आवश्यक नहीं बनाएगी।'';

(II) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(2क) अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थमों से भिन्न माध्यस्थमों से उद्भूत किसी माध्यस्थम् पंचाट को भी न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा सकेगा यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि पंचाट को देखने से ही यह प्रतीत होता है कि वह प्रकट अवैधता से दूषित है:

परन्तु किसी पंचाट को केवल विधि के गलत उपयोजन के आधार पर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करके अपास्त नहीं किया जाएगा।'';

(III) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(5) इस धारा के अधीन कोई आवेदन किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को पूर्व सूचना जारी करने के पश्चात् ही फाइल किया जाएगा और ऐसे आवेदन के साथ आवेदक द्वारा उक्त अपेक्षा के अनुपालन का पृष्ठांकन करते हुए एक शपथपत्र संलग्न किया जाएगा।

(6) इस धारा के अधीन आवेदन का निपटारा यथाशीघ्र और किसी भी दशा में उस तारीख से, जिसको उपधारा (5) में निर्दिष्ट सूचना दूसरे पक्षकार पर तामील की जाती है, एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा।''।

धारा 36 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

19. मूल अधिनियम की धारा 36 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

प्रवर्तन।

''36. (1) जहां धारा 34 के अधीन माध्यस्थम् पंचाट को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन करने का समय समाप्त हो गया है वहां उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसा पंचाट सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के अनुसार उसी रीति से प्रवर्तित किया जाएगा मानो वह न्यायालय की कोई डिक्री हो। 1908 का 5

(2) जहां माध्यस्थम् पंचाट को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन न्यायालय में धारा 34 के अधीन फाइल किया गया है, वहां ऐसे किसी आवेदन के फाइल किए जाने से ही वह पंचाट तब तक अप्रवर्तनीय नहीं हो जाएगा जब तक कि न्यायालय द्वारा उस प्रयोजन के लिए किए गए किसी पृथक् आवेदन पर उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार उक्त माध्यस्थम् पंचाट के प्रवर्तन पर कोई रोकादेश नहीं दे देता है।

(3) न्यायालय, माध्यस्थम् पंचाट के प्रवर्तन पर रोक लगाने के लिए उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन फाइल किए जाने पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसे पंचाट के प्रवर्तन पर रोक मंजूर कर सकेगा:

परन्तु न्यायालय, धन के संदाय संबंधी माध्यस्थम् पंचाट के मामले में रोक मंजूर करने संबंधी आवेदन पर विचार करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के अधीन धन संबंधी किसी डिक्री पर रोक मंजूर किए जाने संबंधी उपबंधों का सम्यक् ध्यान रखेगा।''। 1908 का 5

धारा 37 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

''(क) धारा 8 के अधीन माध्यस्थम् के लिए पक्षकारों को निर्दिष्ट करने से इंकार करना;

(ख) धारा 9 के अधीन किसी उपाय को मंजूर करना या मंजूर करने से इंकार करना;

(ग) धारा 34 के अधीन माध्यस्थम् पंचाट को अपास्त करना या अपास्त करने से इंकार करना।''।

21. मूल अधिनियम की धारा 47 के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:— धारा 47 का संशोधन।

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा में और इस अध्याय में की आगे की धाराओं में, ''न्यायालय'' से ऐसा उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जिसे माध्यस्थम् पंचाट की विषय-वस्तु वाले प्रश्नों का, यदि वे उसकी आरंभिक सिविल अधिकारिता पर किसी वाद की विषय-वस्तु होते, विनिश्चय करने की आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है और अन्य मामलों में ऐसा उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जिसे उस उच्च न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालयों की डिक्रियों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने की अधिकारिता प्राप्त है।'।

22. मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात्:— धारा 48 का संशोधन।

''**स्पष्टीकरण 1**—किसी शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध केवल तभी होगा यदि—

(i) पंचाट का किया जाना कपट या भ्रष्टाचार द्वारा उत्प्रेरित है या प्रभावित किया गया है अथवा वह धारा 75 या धारा 81 के अतिक्रमण में है; या

(ii) वह भारतीय विधि की मूलभूत नीति के उल्लंघन में है; या

(iii) वह नैतिकता या न्याय की अत्यंत आधारभूत धारणा के विरोध में है।

स्पष्टीकरण 2—शंका को दूर करने के लिए, इस बात की जांच कि भारतीय विधि की मूलभूत नीति का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं, विवाद के गुणागुण के पुनर्विलोकन को आवश्यक नहीं बनाएगी।''।

23. मूल अधिनियम की धारा 56 के स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 56 का संशोधन।

'**स्पष्टीकरण** —इस धारा में और इस अध्याय में की आगे की धाराओं में, ''न्यायालय'' से ऐसा उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जिसे माध्यस्थम् पंचाट की विषय-वस्तु वाले प्रश्नों का, यदि वे उसकी आरंभिक सिविल अधिकारिता पर किसी वाद की विषय-वस्तु होते, विनिश्चय करने की आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है और अन्य मामलों में ऐसा उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जिसे उस उच्च न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालयों की डिक्रियों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने की अधिकारिता प्राप्त है।'।

24. मूल अधिनियम की धारा 57 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात्:— धारा 57 का संशोधन।

''**स्पष्टीकरण 1**—किसी शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध केवल तभी होगा यदि—

(i) पंचाट का किया जाना कपट या भ्रष्टाचार द्वारा उत्प्रेरित है या प्रभावित किया गया है अथवा वह धारा 75 या धारा 81 के अतिक्रमण में है; या

(ii) वह भारतीय विधि की मूलभूत नीति के उल्लंघन में है; या

(iii) वह नैतिकता या न्याय की अत्यंत आधारभूत धारणा के विरोध में है।

स्पष्टीकरण 2—शंका को दूर करने के लिए, इस बात की जांच कि भारतीय विधि की मूलभूत नीति का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं, विवाद के गुणागुण के पुनर्विलोकन को आवश्यक नहीं बनाएगी।''।

नई चौथी अनुसूची, पांचवीं अनुसूची, छठी अनुसूची और सातवीं अनुसूची का अंत:स्थापन।

25. मूल अधिनियम की तीसरी अनुसूची के पश्चात्, निम्नलिखित नई अनुसूचियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

'चौथी अनुसूची

[धारा 11(14) देखिए]

विवादित राशि	**निदर्श फीस**
5,00,000/– रुपए तक	45,000/– रुपए
5,00,000/– रुपए से ऊपर और 20,00,000/– रुपए तक	45,000/– रुपए + 5,00,000/– रुपए से अधिक की दावा रकम का 3.5 प्रतिशत
20,00,000/– रुपए से ऊपर और 1,00,00,000/– तक	97,500/– रुपए + 20,00,000/– रुपए से अधिक की दावा रकम का 3 प्रतिशत
1,00,00,000/– रुपए से ऊपर और 10,00,00,000/– रुपए तक	3,37,500/– रुपए + 1,00,00,000/– रुपए से अधिक की दावा रकम का एक प्रतिशत
10,00,00,000/– रुपए से ऊपर और 20,00,00,000/– रुपए तक	12,37,500/– रुपए + 10,00,00,000/– रुपए से अधिक की दावा रकम का 0.75 प्रतिशत
20,00,00,000/– रुपए से ऊपर	19,87,500/– रुपए + 20,00,00,000/– रुपए, से 30,00,00,000/– रुपए की अधिकतम सीमा सहित से अधिक की दावा रकम का 0.5 प्रतिशत।

टिप्पण: यदि माध्यस्थम् अधिकरण एकल मध्यस्थ है, तो वह ऊपर वर्णित सारणी के अनुसार संदेय फीस पर पच्चीस प्रतिशत अतिरिक्त रकम का हकदार होगा।

पांचवीं अनुसूची

[धारा 12(1) (ख) देखिए]

ऐसे निम्नलिखित आधार जिनमें मध्यस्थों की स्वतन्त्रता या निष्पक्षता के बारे में संदेह पैदा होता है:

मध्यस्थों का पक्षकारों या काउंसेल के साथ संबंध

1. मध्यस्थ कोई कर्मचारी, परामर्शी, सलाहकार है या उसका किसी पक्षकार के साथ कोई अन्य पूर्ववर्ती या वर्तमान कारोबारी सम्बन्ध है।

2. मध्यस्थ वर्तमान में पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार का प्रतिनिधित्व करता है या उसे सलाह देता है अथवा किसी एक पक्षकार का सहबद्ध है।

3. वर्तमान में, मध्यस्थ ऐसे वकील या विधि फर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के काउंसेल के रूप में कार्य कर रही है।

4. मध्यस्थ उसी विधि फर्म का एक वकील है जो पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार का प्रतिनिधित्व कर रही है।

5. मध्यस्थ प्रबन्धक, निदेशक या प्रबन्धतन्त्र का एक भाग है या उसका पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के सहबद्ध में वैसा ही नियंत्रणकारी असर है, यदि वह सहबद्ध मध्यस्थता में के विवादग्रस्त विषयों में प्रत्यक्ष रूप से अंतर्वलित है।

6. मध्यस्थ की विधि फर्म, मध्यस्थ द्वारा अपने को अंतर्वलित किए बिना, मामले में पूर्व में किंतु सीमित रूप से अंतर्वलित थी।

7. मध्यस्थ की विधि फर्म का वर्तमान में पक्षकारों में से किसी के साथ या पक्षकारों में से किसी सहबद्ध के साथ महत्वपूर्ण वाणिज्यिक संबंध हैं।

8. मध्यस्थ नियुक्ति पक्षकार को या नियुक्ति पक्षकार के सहबद्ध को नियमित रूप से सलाह देता है भले ही न तो मध्यस्थ और न ही उसकी फर्म को उससे कोई महत्वपूर्ण वित्तीय आय व्युत्पन्न हुई है।

9. मध्यस्थ के पक्षकारों में से किसी के साथ और कंपनियों की दशा में कंपनी के प्रबंधन और नियंत्रण में के व्यक्तियों के साथ निकट के कौटुम्बिक संबंध हैं।

10. मध्यस्थ के निकट के कौटुम्बिक सदस्य का पक्षकारों में से किसी में या पक्षकारों के किसी सहबद्ध में महत्वपूर्ण वित्तीय हित है।

11. मध्यस्थ ऐसी किसी इकाई का, जो माध्यस्थम् में एक पक्षकार है, विधिक प्रतिनिधि है।

12. मध्यस्थ प्रबंधक, निदेशक या प्रबंधतंत्र का एक भाग है या उसका पक्षकारों में से किसी में वैसा ही नियंत्रणकारी असर है।

13. मध्यस्थ का पक्षकारों में से किसी में या मामले के निर्णय में महत्वपूर्ण वित्तीय हित है।

14. मध्यस्थ नियुक्ति पक्षकार को या नियुक्ति पक्षकार के सहबद्ध को नियमित रूप से सलाह देता है और मध्यस्थ या उसकी फर्म को उससे महत्वपूर्ण वित्तीय आय व्युत्पन्न होती है।

मध्यस्थ का विवाद से संबंध

15. मध्यस्थ ने विवाद के संबंध में किसी पक्षकार या पक्षकारों में से किसी के सहबद्ध को विधिक सलाह दी है या विशेषज्ञ राय प्रदान की है।

16. मध्यस्थ मामले में पूर्ववर्ती रूप से अतंर्वलित है।

मध्यस्थ का विवाद में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित होना

17. मध्यस्थ सरकारों में से किसी में या पक्षकारों में से किसी एक के सहबद्ध में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: शेयर धारण करता है अर्थात् प्राइवेट रूप से धारित किए हुए है।

18. मध्यस्थ के निकट के कौटुम्बिक सदस्य का विवाद के निर्णय में महत्वपूर्ण वित्तीय हित है।

19. मध्यस्थ या मध्यस्थ के निकट के कौटुम्बिक सदस्य का ऐसे अन्य पक्षकर के साथ, जो विवाद में के असफल पक्षकार की ओर से सहारा लेने के लिए दायी हो सकता है, निकट के संबंध हैं;

पक्षकारों में से किसी एक की मामले में पूर्ववर्ती रूप सेवाएं या अन्य अंतर्वेलन

20. मध्यस्थ ने पिछले तीन वर्षों के भीतर पक्षकारों में से किसी के या पक्षकारों में से किसी एक सहबद्ध के काउन्सेल के रूप में कार्य किया है या पूर्व में किसी असंबंधित मामले में नियुक्ति करके पक्षकार या पक्षकार के सहबद्ध को पूर्व में सलाह दी है या उसके द्वारा उससे परामर्श किया गया है; किंतु मध्यस्थ और पक्षकार या पक्षकार के सहबद्ध से अब कोई संबंध नहीं है।

21. मध्यस्थ ने पिछले तीन वर्षों के भीतर पक्षकारों में से किसी के या पक्षकारों में से किसी एक सहबद्ध के विरुद्ध किसी असंबद्ध मामले में काउंसेल के रूप में कार्य किया है।

22. मध्यस्थ को पिछले तीन वर्षों के भीतर पक्षकारों में से किसी एक या पक्षकारों में से एक के सहबद्ध द्वारा दो या अधिक अवसरों पर मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है।

23. मध्यस्थ की विधि फर्म ने पिछले तीन वर्षों के भीतर मध्यस्थ को अंतर्वलित किए बिना, पक्षकारों में से एक या पक्षकारों में से एक के सहबद्ध के लिए किसी असंबंधित मामले में कार्य किया है।

24. मध्यस्थ इस समय किसी अन्य माध्यस्थम् में किसी संबंधित विवाद्यक पर, जिसमें पक्षकारों में से एक या पक्षकारों में से एक सहबद्ध अंतर्वलित है, मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है या उसने पिछले तीन वर्षों के भीतर कार्य किया है।

मध्यस्थ और अन्य मध्यस्थ या काउन्सेल के बीच संबंध

25. मध्यस्थ और कोई अन्य मध्यस्थ उसी विधि फर्म में वकील हैं।

26. मध्यस्थ पिछले तीन वर्षों के भीतर किसी अन्य मध्यस्थ या उसी माध्यस्थम् में किसी काउन्सेल का भागीदार था या अन्यथा उससे सहबद्ध था।

27. मध्यस्थ की विधि फर्म में का वकील ऐसे किसी अन्य विवाद में मध्यस्थ है जिसमें वही पक्षकार या वे ही पक्षकर अथवा पक्षकारों में से एक का सहबद्ध अंतर्वलित है।

28. मध्यस्थ का निकट का कौटुम्बिक सदस्य उस विधि फर्म का भागीदार या कर्मचारी है जो पक्षकारों में से एक का प्रतिनिधित्व कर रही है किंतु विवाद में सहायता प्रदान नहीं कर रही है।

29. मध्यस्थ को पिछले तीन वर्षों के भीतर उसी काउन्सेल या उसी विधि फर्म द्वारा तीन से अधिक मनोनयन प्राप्त हुए हैं।

मध्यस्थ और पक्षकार तथा माध्यस्थम् में अंतर्वलित अन्यों के बीच संबंध

30. मध्यस्थ की फर्म इस समय पक्षकारों में से एक अथवा पक्षकारों में से एक सहबद्ध के प्रतिकूल कार्य कर रही है।

31. मध्यस्थ पिछले तीन वर्षों के भीतर किसी पक्षकार या पक्षकारों में से एक के सहबद्ध के साथ व्यवसायिक हैसियत में जैसे कि पूर्व कर्मचारी या भागीदार के रूप में सहयोजित रहा है।

अन्य परिस्थितियां

32. मध्यस्थ के, संख्या या अंकित मूल्य के कारण, जिनसे कि पक्षकारों में से एक में या पक्षकारों में से एक के सहबद्ध में तात्विक धृवित का गठन होता है, सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध की जाती है प्रत्यक्षतया या अप्रत्यक्षतया शेयर धारण करता है।

33. मध्यस्थ किसी माध्यस्थम् संस्था में विवाद के विषय में नियुक्ति प्राधिकारी की हैसियत धारण करता है।

34. मध्यस्थ कोई प्रबंधक, निदेशक या प्रबंधतंत्र का एक भाग है या उसका पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के सहबद्ध में वैसा ही नियंत्रणकारी असर है, जहां कि वह सहबद्ध मध्यस्थता में के विवादग्रस्त विषयों में प्रत्यक्ष रूप से अंतर्वलित नहीं है।

स्पष्टीकरण 1—''निकट का कौटुम्बिक सदस्य'' पद पति/पत्नी, सहोदर, बालक, माता/पिता या जीवन साथी के प्रति निर्देश करता है।

स्पष्टीकरण 2—''सहबद्ध'' पद के अंतर्गत कंपनियों के एक समूह में सभी कंपनियां, जिनके अंतर्गत मूल कंपनी भी है, आती हैं।

स्पष्टीकरण 3—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि माध्यस्थम् के कतिपय विनिर्दिष्ट रूपों में, जैसे कि सामुद्रिक या वस्तु संबंधी माध्यस्थम् रूप में लघु, विशेषज्ञ, पूल से मध्यस्थों को लेने के लिए एक पद्धति हो सकती है। यदि इन क्षेत्रों में पक्षकारों के लिए प्रायः उसी मध्यस्थ को भिन्न-भिन्न मामलों में नियुक्त करने की रूढ़ि और पद्धति है, तो उपर्युक्त नियत नियमों को लागू करते समय सुसंगत तथ्य को विचार में लिया जाना होगा।

छठी अनुसूची

[धारा 12(1)(ख) देखिए]

नाम:

संपर्क के ब्यौरे:

पूर्व अनुभव (जिसके अंतर्गत माध्यस्थमों का अनुभव भी है):

चल रहे माध्यस्थमों की संख्या:

वे परिस्थितियां जिनसे पक्षकारों में से किसी में या विवादग्रस्त विषय-वस्तु के संबंध में कोई पूर्व या वर्तमान संबंध या हित है, चाहे वह वित्तीय, कारोबारी या अन्य प्रकार का हो, जिससे उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित शंकाएं पैदा होने की संभावना है (सूची दें):

वे परिस्थितियां जिनसे माध्यस्थम् के प्रति पर्याप्त समय देने की आपकी योग्यता और विशिष्टतया संपूर्ण माध्यस्थम् को चौबीस मास की अवधि के भीतर पूरा करने की और तीन मास के भीतर पंचाट करने की आपकी योग्यता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है (सूची दें):

सातवीं अनुसूची

[धारा 12(5) देखिए]

मध्यस्थ का पक्षकारों या काउंसेल के साथ संबंध

1. मध्यस्थ कोई कर्मचारी, परामर्शी, सलाहकार है या उसका किसी पक्षकार के साथ कोई अन्य पूर्ववर्ती या वर्तमान कारोबारी सम्बन्ध है।

2. मध्यस्थ वर्तमान में पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार का प्रतिनिधित्व करता है या उसे सलाह देता है अथवा किसी एक पक्षकार का सहबद्ध है।

3. वर्तमान में, मध्यस्थ ऐसे वकील या विधि फर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के काउंसेल के रूप में कार्य कर रही है।

4. मध्यस्थ उसी विधि फर्म का एक वकील है जो पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार का प्रतिनिधित्व कर रही है।

5. मध्यस्थ कोई प्रबंधक, निदेशक या प्रबन्धतन्त्र का एक भाग है या उसका पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के सहबद्ध में वैसा ही नियंत्रणकारी असर है, जहां कि वह सहबद्ध मध्यस्थता में के विवादग्रस्त विषयों में प्रत्यक्ष रूप से अन्तर्वलित है।

6. मध्यस्थ की विधि फर्म, मध्यस्थ द्वारा अपने को अंतर्वलित किए बिना, मामले में पूर्व में किंतु सीमित रूप से अंतर्वलित थी।

7. मध्यस्थ की विधि फर्म का वर्तमान में पक्षकारों में से किसी के साथ या पक्षकारों में से किसी सहबद्ध के साथ महत्वपूर्ण वाणिज्यिक संबंध हैं।

8. मध्यस्थ नियुक्ति पक्षकार को या नियुक्ति पक्षकार के सहबद्ध को नियमित रूप से सलाह देता है भले ही न तो मध्यस्थ और न ही उसकी फर्म को उससे कोई महत्वपूर्ण वित्तीय आय व्युत्पन्न हुई है।

9. मध्यस्थ के पक्षकारों में से किसी के साथ और कंपनियों की दशा में कंपनी के प्रबंधन और नियंत्रण में के व्यक्तियों के साथ निकट के कौटुम्बिक संबंध हैं।

10. मध्यस्थ के निकट के कौटुम्बिक सदस्य का पक्षकारों में से किसी में या पक्षकारों के किसी सहबद्ध में महत्वपूर्ण वित्तीय हित हैं।

11. मध्यस्थ ऐसी किसी इकाई का, जो माध्यस्थम् में एक पक्षकार है, विधिक प्रतिनिधि है।

12. मध्यस्थ कोई प्रबंधक, निदेशक या प्रबंधतंत्र का एक भाग है या उसका पक्षकारों में से किसी में वैसा ही नियंत्रणकारी असर है।

13. मध्यस्थ का पक्षकारों में से किसी में या मामले के निर्णय में महत्वपूर्ण वित्तीय हित है।

14. मध्यस्थ नियुक्ति पक्षकार को या नियुक्ति पक्षकार के सहबद्ध को नियमित रूप से सलाह देता है और मध्यस्थ या उसकी फर्म को उससे महत्वपूर्ण वित्तीय आय व्युत्पन्न होती है।

मध्यस्थ का विवाद से संबंध

15. मध्यस्थ ने विवाद के संबंध में किसी पक्षकार या पक्षकारों में से किसी सहबद्ध को विधिक सलाह दी है या विशेषज्ञ राय प्रदान की है।

16. मध्यस्थ मामले में पूर्ववर्ती रूप से अंतर्वलित है।

मध्यस्थ का विवाद में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित होना

17. मध्यस्थ पक्षकारों में से किसी में या पक्षकारों में से किसी एक से सहबद्ध में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: शेयर धारण करता है अर्थात् प्राइवेट रूप से धारित किए हुए हैं।

18. मध्यस्थ के निकट के कौटुम्बिक सदस्य का विवाद के निर्णय में महत्वपूर्ण वित्तीय हित है।

19. मध्यस्थ या मध्यस्थ के निकट के कौटुम्बिक सदस्य का ऐसी अन्य पक्षकार के साथ, जो विवाद में के असफल पक्षकार की ओर से सहारा लेने के लिए दायी हो सकता है, निकट के संबंध हैं।

स्पष्टीकरण 1— ''निकट का कौटुम्बिक सदस्य'' पद पति/पत्नी, सहोदर, बालक, माता/पिता या जीवन साथी के प्रति निर्देश करता है।

स्पष्टीकरण 2— ''सहबद्ध'' पद के अंतर्गत कंपनियों के एक समूह में सभी कंपनियां, जिनके अंतर्गत मूल कंपनी भी है, आती हैं।

स्पष्टीकरण 3— शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि माध्यस्थम् के कतिपय विनिर्दिष्ट रूपों में, जैसे कि सामुद्रिक या वस्तु संबंधी माध्यस्थम् रूप में, लघु, विशेषज्ञ पूल से मध्यस्थों को लेने के लिए एक पद्धति हो सकती है। यदि इन क्षेत्रों में पक्षकारों के लिए प्राय: उसी मध्यस्थ को भिन्न-भिन्न मामलों में नियुक्त करने की रूढ़ि और पद्धति है, तो उपर्युक्त नियत नियमों को लागू करते समय सुसंगत तथ्य को विचार में लिया जाना होगा।'।

निरसन और व्यावृत्ति।

26. (1) माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2015 का अध्यादेश संख्यांक 9

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

माध्यस्थम् से संबंधित सामान्य विधि माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) में अंतर्विष्ट है। अधिनियम जो संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (यू॰एन॰सी॰आई॰टी॰आर॰ए॰एल॰) द्वारा 1985 में अंगीकार किया गया अंतरराष्ट्रीय, वाणिज्यिक, माध्यस्थम पर संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग आदर्श विधि पर आधारित है, अंतरराष्ट्रीय और देशी दोनों, माध्यस्थमों को लागू होता है।

2. अधिनियम माध्यस्थमों से संबंधित मामलों में, न्यायालय के कम से कम मध्यक्षेप के शीघ्र निपटारे का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। समय के व्यतीत होने के साथ-साथ, अधिनियम के लागू किए जाने में कुछ कठिनाइयां सामने आई हैं। कुछ मामलों में न्यायालयों द्वारा अधिनियम के उपबंधों का जो निर्वचन किया गया है उसके परिणामस्वरूप माध्यस्थम की कार्रवाइयों के निपटारे में विलंब हुआ है और माध्यस्थम संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप बढ़ा है जिससे अधिनियम का उद्देश्य विफल हुआ है। इन कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से यह विषय भारत के विधि आयोग को निर्दिष्ट किया गया था और आयोग ने इस विषय की विस्तारपूर्वक समीक्षा करके 176वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट के आधार पर माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2003, 22 दिसंबर, 2003 को राज्यसभा में पुर:स्थापित किया गया था। उक्त विधेयक कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय से संबद्ध विभाग की संसदीय स्थायी समिति को समीक्षा और उस पर रिपोर्ट देने के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया था। उक्त समिति ने, अपनी रिपोर्ट संसद् में 4 अगस्त, 2005 को प्रस्तुत की जिसमें समिति ने यह सिफारिश की कि चूंकि उक्त विधेयक के अनेक उपबंध प्रतिरोधात्मक हैं, अत: विधेयक को वापस ले लिया जाए और उसकी सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् उसके स्थान पर नया विधान लाया जाए। तदनुसार उक्त विधेयक राज्य सभा से वापस ले लिया गया था।

3. उपरोक्त के अनुसरण में पुन: किए गए निर्देश पर विधि आयोग ने माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 का संशोधन की समीक्षा और उस पर अपनी 246वीं रिपोर्ट अगस्त, 2014 में प्रस्तुत की तथा अधिनियम में विभिन्न संशोधनों की सिफारिश की। अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन अनुकल्पी विवाद तंत्र को विशेष रूप से माध्यस्थम्, अधिक उपभोक्ता हितैषी, कम खर्चीले तथा मामलों के शीघ्र निपटारे में विवादों के निपटान को सुकर बनाएगा और प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि भारत मामलों के निपटारे में निवारण करने के लिए अपने विधिक कार्य ढांचे को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है।

4. चूंकि संविदा प्रवर्तन में विश्व के 189 राष्ट्रों में से भारत को 178वां स्थान प्राप्त है, यह उचित समय है कि संविदा के शीघ्र प्रवर्तन, मौद्रिक दावों की सहज वसूली को सुकर बनाने के लिए और उठाई गई नुकसानियों के लिए उचित प्रतिकर का अधिनिर्णय करने के लिए तथा न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने और माध्यस्थम् के माध्यम से विवाद समाधान की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए अत्यावश्यक उपाय किए जाएं, जिससे कि विनिधान और आर्थिक क्रियाकलाप को प्रोत्साहन मिल सके।

5. चूंकि संसद् सत्र में नही थी और दृढ़ विधिक कार्य ढांचा रखने वाले विनिधानकर्ता हितैषी देश के रूप में भारत को पेश करके विदेशी विनिधान को आकर्षित करने के लिए माध्यस्थम और सुलह संशोधन अधिनियम, 1996 में आवश्यक संशोधन करने के लिए तुरंत उपाय किए जाने अपेक्षित थे, इसलिए राष्ट्रपति ने माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015 को प्रख्यापित किया था।

6. माध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक, 2015 को पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015 को प्रतिस्थापित किया जा सके जो, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का उपबंध करता है, अर्थात्:—

(i) इस बात का उपबंध करने के लिए कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मान्यताओं की दशा में न्यायालय उच्च न्यायालय होना चाहिए ''न्यायालय'' की परिभाषा का संशोधन करना;

(ii) यह सुनिश्चित करना कि कोई भारतीय न्यायालय अंतरिम उपाय यदि मंजूर करने के लिए उस दशा में कि जहां कि माध्यस्थम का स्थान भारत के बाहर भी है, अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है;

(iii) माध्यस्थम की नियुक्ति संबंधी आवेदन का, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटारा यथासंभव शीघ्रता के साथ किया जाएगा और उस मामले का निपटारा साठ दिन की अवधि के भीतर करने का प्रयास किया जाना चाहिए;

(iv) इस बात का उपबंध करना कि माध्यस्थम की नियुक्ति संबंधी किसी आवेदन पर विचार करने के समय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया माध्यस्थम करार की विधिमान्यता की न कि किन्हीं अन्य प्रश्नों की समीक्षा की जाएगी;

(v) इस बात का उपबंध करना कि माध्यस्थ अधिकरण अपना पंचाट उस तारीख से, जिसको वह निर्देश ग्रहण करता है, बारह मास की अवधि के भीतर करेगा और यह कि तथापि, पक्षकार उस अवधि को छह मास तक बढ़ा सकते हैं और उस अवधि के पश्चात् कोई अवधि विस्तारण केवल न्यायालय द्वारा पर्याप्त कारण पर ही मंजूर किया जा सकेगा;

(vi) एक आदर्श फीस अनुसूची का उपबंध करना जिसके आधार पर उच्च न्यायालय, उस मामले में जहां कि उच्च न्यायालय द्वारा माध्यस्थम् की नियुक्ति अधिनियम की धारा 11 के निबंधनों के अनुसार की जाती है; माध्यस्थम् अधिकरण की फीस का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सके;

(vii) इस बात का उपबंध करना कि वे पक्षकार, जिनमें विवाद है, किसी भी प्रक्रम पर लिखत में यह करार कर सकते हैं कि उनके विवाद का समाधान सामान्य त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए और ऐसे मामलों में पंचाट छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा;

(viii) जब किसी मध्यस्थ के रूप में संभव नियुक्ति के संबंध में किसी व्यक्ति से अनुरोध किया जाता है, तब मध्यस्थ की तटस्थता के लिए उपबंध करना;

(ix) यह उपबंध करना कि पंचाट को चुनौती देने संबंधी आवेदन का निपटारा न्यायालय द्वारा एक वर्ष के भीतर किया जाए।

7. विधेयक में प्रस्तावित संशोधन यह सुनिश्चित करेंगे कि माध्यस्थम की प्रक्रिया अधिक उपभोक्ता हितैषी, कम खर्चीली होगी और इससे मामलों का शीघ्र निपटारा होगा।

8. विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

नई दिल्ली;
25 नवंबर, 2015

डी॰वी॰ सदानंद गौडा

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 2 माध्यस्थम सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि अधिनियम में प्रयुक्त कुछ पदों को पुन: परिभाषित किया जा सके। उपधारा (2) के नीचे एक परंतुक यह उपबंध करने के लिए है कि अधिनियम के भाग 1 के कुछ उपबंध अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम को भी लागू होंगे भेले ही माध्यस्थम का स्थान भारत से बाहर क्यों न हो।

विधेयक का खंड 3 मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) के खंड (ख) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि अभिव्यक्त रूप से यह उपबंध किया जा सके कि इलेक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से संसूचना के प्ररूप में अंतर्विष्ट माध्यस्थम करार को भी लिखित में माध्यस्थम करार के रूप में माना जाएगा।

विधेयक का खंड 4 मूल अधिनियम की धारा 8 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह विनिर्दिष्ट किया जा सके कि न्यायिक प्राधिकारी पक्षकारों को माध्यस्थम को तब तक निर्दिष्ट नहीं करेगा जब तक कि वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि प्रथम दृष्टया कोई विधिमान्य माध्यस्थम करार विधिमान्य नहीं है। उपधारा (2) के नीचे एक परंतुक यह उपबंध करने के लिए अंत:स्थापित किया गया है कि जहां मूल माध्यस्थम करार या उसकी प्रमाणित प्रति उस पक्षकार के पास उपलब्ध नहीं है जो उपधारा (1) के अधीन आवेदन करता है और अन्य पक्षकार द्वारा उसे प्रतिधारित किया जाता है, वहां ऐसा पक्षकार न्यायालय के समक्ष न्यायालय से मूल माध्यस्थम करार या उसकी सम्यकत: प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने का अनुरोध करते हुए उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ माध्यस्थम करार की एक प्रति फाइल करेगा।

विधेयक का खंड 5 मूल अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां माध्यस्थम कार्रवाईयों के प्रारंभ से पूर्व उपधारा (1) के अधीन किसी अंतरिम उपाय के लिए आदेश पारित करता है वहां माध्यस्थम कार्रवाईयां ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर आरंभ हो जाएंगी। खंड यह और उपबंध करता है कि जब माध्यस्थम का गठन हो जाता है तो न्यायालय अंतरिम उपाय के लिए किसी आवेदन को तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि वह इस निष्कर्ष पर न पहुंचे कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे धारा 17 के अधीन उपलब्ध उपचार प्रभावोत्पादक न हो।

विधेयक का खंड 6 मूल अधिनियम की धारा 11 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि मध्यस्थ की नियुक्ति, यथा स्थिति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के स्थान पर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। उपधारा (6क) यह उपबंध करने के लिए अंत:स्थापित की गई है कि उपधारा (4) से उपधारा (6) के अधीन आवेदन पर विचार करते समय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय करार की समीक्षा करने तक ही सीमित होगा। उपधारा (7) में यह स्पष्ट किया गया है कि उपधारा (4) से उपधारा (6) के अधीन सौंपे गए विषय पर विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरूद्ध लेटर्स पेटेन्ट अपील सहित कोई अपील नहीं होगी। एक नई उपधारा (13) यह उपबंध करने के लिए अंत:स्थापित की गई है कि मध्यस्थ (मध्यस्थों) की नियुक्ति के लिए आवेदन यथा संभव शीघ्र निपटाया जाएगा और विरोधी पक्षकार पर सूचना की तामील की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। उच्च न्यायालय को सशक्त करने के लिए एक नई उपधारा (14) अंत:स्थापित की गई है जिससे कि माध्यस्थम अधिकरण की फीस तथा ऐसे संदाय की रीति का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए नियम बनाए जा सकें। ऐसे नियमों को बनाते समय उच्च न्यायालय चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस की दरों पर विचार करेगा।

विधेयक का खंड 7 मूल अधिनियम में एक नई धारा 11क अंत:स्थापित करने के लिए है जिससे कि केन्द्रीय सरकार को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रारूप रूप में उसे रखने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा चौथी अनुसूची का संशोधन करने के लिए सशक्त किया जा सके।

विधेयक का खंड 8 मूल अधिनियम की धारा 12 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि मध्यस्थों की तटस्थता सुनिश्चित की जा सके। जब किसी व्यक्ति से मध्यस्थ की संभव नियुक्ति के संबंध में अनुरोध किया जाता है तो उससे किसी भी प्रकार के किसी संबंध या हित जिससे न्यायोचित शंकाओं के उत्पन्न होने की संभावना है, की विद्यमानता के संबंध में लिखित में प्रकट करने की अपेक्षा की जाती है। उससे किसी ऐसी दशा का प्रकटन करने की भी अपेक्षा की जाती है जिससे विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर माध्यस्थम के लिए पर्याप्त समय लगाने तथा

माध्यस्थम को पूरा करने की उसकी सामर्थ्य की प्रभावित होने की संभावना है। इस आशय के लिए एक नई उपधारा (5) अंत:स्थापित की गई है कि सातवीं अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट संबंध रखने वाला व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अपात्र होगा।

विधेयक का खंड 9 मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि मध्यस्थ के आदेश के पर्यवसान पर उसके स्थान पर किसी अन्य मध्यस्थ को रखा जाए।

विधेयक का खंड 10 मूल अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि माध्यस्थम अधिकरण को ऐसे सभी अंतरिम उपाय मंजूर करने की शक्ति होगी जिन्हें न्यायालय धारा 9 के अधीन मंजूर करने के लिए सशक्त है। यह और उपबंध किया जाता है कि ऐसे अंतरिम उपाय माध्यस्थम कार्रवाईयों के दौरान या माध्यस्थम पंचाट करने के उपरांत किसी भी समय किंतु धारा 36 के अधीन उसे प्रवृत्त किए जाने से पूर्व माध्यस्थम अधिकरण द्वारा मंजूर किए जा सकते हैं। उपधारा (2) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाता है कि अंतरिम उपायों की मंजूरी करने के लिए माध्यस्थम अधिकरण द्वारा जारी कोई आदेश सभी प्रयोजनों के लिए न्यायालय का आदेश समझा जाएगा और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वैसी ही रीति में प्रवर्तनीय होगा मानों की वह न्यायालय का आदेश है।

विधेयक का खंड 11 मूल अधिनियम की धारा 23में एक नई उपधारा (2क) अंत:स्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्यर्थी अपने मामले के समर्थन में प्रति दावा या मुजरा भी प्रस्तुत कर सके, यदि ऐसा प्रति दावा या मुजरा माध्यस्थम करार की परिधि के अंतर्गत आता है।

विधेयक का खंड 12 मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) में परंतुक अंत:स्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि माध्यस्थम अधिकरण दिन प्रति दिन के आधार पर साक्ष्य या मौखिक तर्क प्रस्तुत करने के लिए मौखिक सुनवाई करेगा और किसी पर्याप्त कारण के बिना कोई स्थगन मंजूर नहीं करेगा।

विधेयक का खंड 13 मूल अधिनियम की धारा 25का संशोधन करने के लिए है जिससे कि प्रतिवाद का कथन फाइल करने के लिए प्रत्यर्थी का अधिकार समपहृत कर दिया गया माना जाए यदि प्रत्यर्थी ऐसा कथन युक्तियुक्त कारण के बिना धारा 23 की उपधारा (1) के अनुसार संसूचित करने में असफल रहता है।

विधेयक का खंड 14 मूल अधिनियम की धारा 28 की नई उपधारा (3) अंत:स्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि माध्यस्थम अधिकरण पंचाट का विनिश्चय और पंचाट करते समय संव्यवहार को लागू संविदा के निबंधन तथा व्यापार रूढ़ियों को ध्यान में रखता है।

विधेयक का खंड 15 मूल अधिनियम में नई धारा 29क और 29ख अंत:स्थापित करने के लिए है जिससे कि माध्यस्थम पंचाट करने के लिए समय सीमा विनिर्दिष्ट की जा सके। धारा 29क यह उपबंध करती है कि पंचाट उस तारीख से जिसको माध्यस्थम अधिकरण निर्देश पर कार्यवाही आरंभ करता है बारह मास की अवधि के भीतर किया जाना है। तथापि, पक्षकार छह मास से अनधिक की अवधि के लिए ऐसी अवधि को बढ़ा सकेंगे। यदि पंचाट छह मास की अवधि के भीतर किया जाता है तो माध्यस्थम अधिकरण ऐसी अतिरिक्त फीस प्राप्त करने के हकदार होंगे जिसके लिए पक्षकार सहमत हों। यदि पंचाट विनिर्दिष्ट अवधि या विस्तारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो मध्यस्थ का आदेश तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक की उपधारा (4) से (9) के उपबंधों के अनुसार न्यायालय द्वारा समय का विस्तार न कर दिया जाए।

इसके अतिरिक्त धारा 29ख उन मामलों में माध्यस्थम कार्रवाईयां संचालित करने के लिए त्वरित प्रक्रिया के लिए वहां उपबंध करती है जहां पक्षकार परस्पर रूप से ऐसी प्रक्रिया के लिए सहमत हो जाते हैं। ऐसे मामलों में, माध्यस्थम अधिकरण लिखित अभिवाकों, दस्तावेजों और लिखित निवेदनों के आधार पर विवाद का विनिश्चय करेगा और मौखिक सुनवाई नहीं करेगा। पंचाट माध्यस्थम अधिकरण जिस तारीख को कार्रवाई आरंभ करता है उससे छह मास की अवधि के भीतर किया जाना है जिसके न हो सकने पर धारा 29क की उपधारा (3) से उपधारा (9) के उपबंध लागू होंगे।

विधेयक का खंड 16 उपधारा (7) के खंड (ख) को प्रतिस्थापित करके मूल अधिनियम की धारा 31 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि माध्यस्थम पंचाट द्वारा संदत्त किए जाने वाली निदेशित राशि पर, जब तक पंचाट अन्यथा ऐसा निदेश न दे, संदाय की तारीख तक पंचाट की तारीख से, पंचाट की तारीख पर अभिभावी ब्याज की वर्तमान दर से अधिक दो प्रतिशत की दर पर ब्याज लगेगा। खंड इसके अतिरिक्त उक्त धारा की उपधारा (8) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि माध्यस्थम के खर्च धारा 31क के अनुसार माध्यस्थम अधिकरण द्वारा नियत किए जाएंगे।

विधेयक का खंड 17 मूल अधिनियम में एक नई धारा 31क अंत:स्थापित करने के लिए है जिससे कि ऐसे खर्चों, जो अधिनियम के अधीन किसी माध्यस्थम् कार्रवाईयों या किसी कार्यवाही के संबंध में में न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अवधारित और आदेशित किए जाएं, की व्यवस्था से संबंधित उपबंधों का, विस्तार से उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खंड 18 मूल अधिनियम की धारा 34 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि इस आशय की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (ii) में 'भारत की लोक नीति' पद के स्पष्टीकरण के लिए उपबंध किया जा सके कि माध्यस्थम् पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध पंचाट के रूप में केवल वहां समझा जाएगा जहां पंचाट किया जाना कपट या भ्रष्टाचार द्वारा अभिप्रेरित या प्रभावित था या धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन करता था; या भारतीय विधि की मूल नीति का उल्लंघन करता है या नैतिकता या न्याय की अति मूल धारणाओं के प्रतिकूल है। स्पष्टीकरण 2 यह स्पष्ट करने के लिए अंत:स्थापित क्या गया है कि इस संबंध में यह परीक्षण का क्या भारतीय विधि की मूल नीति का उल्लंघन किया गया है, विवाद के गुणागुण के आधार पर पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। एक नई उपधारा (2क) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थमों से भिन्न माध्यस्थमों से उत्पन्न होने वाले माध्यस्थम् पंचाट को चुनौती देने के लिए पेटेंट अवैधता के अतिरिक्त आधार का उपबंध करने के लिए अंत:स्थापित की गई है। उपधारा (5) यह उपबंध करने के लिए अंत:स्थापित की गई है कि इस धारा के अधीन पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन दूसरे पक्षकार को पूर्व सूचना जारी करने के पश्चात् फाइल किया जाना है। उपधारा (6) माध्यस्थम् पंचाट अपास्त करने के लिए आवेदन के निपटान के लिए एक वर्ष की अवधि विहित करने के लिए अंत:स्थापित की गई है।

विधेयक का खंड 19 इस आशय के लिए पंचाट के प्रवर्तन से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 36 का संशोधन करने के लिए है कि माध्यस्थम् पंचाट अपास्त करने के लिए धारा 14 के अधीन मात्र आवेदन फाइल करने से पंचाट तब तक अप्रवर्तनीय नहीं होगा जब तक कि न्यायालय उस प्रयोजन के लिए किए गए प्रत्येक आवेदन पर उक्त पंचाट के प्रवर्तन पर निषेधाज्ञा मंजूर न कर दे।

विधेयक का खंड 20 मूल अधिनियम की धारा 37 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि धारा 8 के अधीन माध्यस्थम् को पक्षकारों को निर्दिष्ट करने से इंकार करने वाले आदेश को सम्मिलित किया जा सके, भी अपीली योग्य है।

विधेयक का खंड 21 मूल अधिनियम की धारा 47 में स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके उस धारा में निर्दिष्ट न्यायालय से उच्च न्यायालय अभिप्रेत है।

विधेयक का खंड 22 मूल अधिनियम की धारा 48 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि इस आशय के विद्यमान स्पष्टीकरण का संशोधन करके उपधारा (2) के खंड (ख) में 'भारत की लोक नीति' पद के स्पष्टीकरण के लिए उपबंध किया जा सके कि माध्यस्थम् पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध केवल तभी होता है जब पंचाट किया जाना कपट या भ्रष्टाचार से अभिप्रेरित या प्रभावित था या धारा 75 या धारा 81 के उल्लंघन में था; या भारतीय विधि की मौलिक नीति के उल्लंघन में है या नैतिकता या न्याय की अति मूल धारणाओं के विरुद्ध है। स्पष्टीकरण 2 यह स्पष्ट करने के लिए अंत:स्थापित किया गया है कि इस संबंध में परीक्षण का, क्या भारतीय विधि की मूल नीति का उल्लंघन हुआ है, विवाद के गुणागुण के आधार पर पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा।

विधेयक का खंड 23 मूल अधिनियम की धारा 56 में स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि उस धारा में निर्दिष्ट न्यायालय से उच्च न्यायालय अभिप्रेत है।

विधेयक का खंड 24 मूल अधिनियम की धारा 57 की संशोधन करने के लिए है जिससे कि इस आशय के विद्यमान स्पष्टीकरण का संशोधन करके उपधारा (1) के खंड (ङ) में 'भारत की लोक नीति' पद के स्पष्टीकरण के लिए उपबंध किया जा सके कि माध्यस्थम् पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध केवल तभी होता है जब पंचाट किया जाना कपट या भ्रष्टाचार से अभिप्रेरित या प्रभावित था या धारा 75 या धारा 81 के उल्लंघन में था; या भारतीय विधि की मौलिक नीति के उल्लंघन में है या नैतिकता या न्याय की अति मूल धारणाओं के विरुद्ध है। स्पष्टीकरण 2 यह स्पष्ट करने के लिए अंत:स्थापित किया गया है कि इस संबंध में परीक्षण का, क्या भारतीय विधि की मूल नीति का उल्लंघन हुआ है, विवाद के गुणागुण के आधार पर पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा।

विधेयक का खंड 25 मूल अधिनियम में अनुसूची 4, 5, 6 और 7 अंत:स्थापित करने के लिए है।

विधेयक का खंड 26 माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015 को निरसित करने के लिए है।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 6 मध्यस्थों की नियुक्ति से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 11 का संशोधन करने के लिए उपबंध करता है। उक्त खंड का उपखंड (ix)ऐसे नियम बनाने के लिए, जो माध्यस्थम्, अधिकरण की फीस के अवधारणा के प्रयोजन के लिए और माध्यस्थम् अधिकरण को उसके संदाय की रीति के लिए, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर विचार करने के पश्चात् उच्च न्यायालय को सशक्त करने वाली उक्त धारा में एक नई उपधारा (14) के अंत:स्थापन के लिए उपबंध करता है।

2. विधेयक का खंड 7 एक नई धारा 11क के अंत:स्थापन के लिए उपबंध करता है और उक्त धारा की उपधारा (1) केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा चौथी अनुसूची का संशोधन करने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है और तदुपरि, चौथी अनुसूची को तद्नुसार संशोधित कर दिया गया समझा जाएगा। उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रारूप में रखी जाएगी।

3. वे विषय जिनके संबंध में अधिसूचना के आदेश पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन किए जाएं, प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अत: विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

उपाबंध

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 26) से उद्धरण

* * * * *

भाग 1

माध्यस्थम्

अध्याय 1

साधारण उपबंध

* * * * *

2. (1) इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

* * * * *

(ङ) ''न्यायालय'' से किसी जिले में आरंभिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अपनी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय भी है, जो माध्यस्थम् की विषय-वस्तु होने वाले प्रश्नों का, यदि वे वाद की विषय-वस्तु होते तो, विनिश्चय करने की अधिकारिता रखता, किन्तु ऐसे प्रधान सिविल न्यायालय से अवर श्रेणी का कोई सिविल न्यायालय या कोई लघुवाद न्यायालय इसके अन्तर्गत नहीं आता है;

(च) ''अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम्'' से ऐसे विवादों से संबंधित कोई माध्यस्थम् अभिप्रेत है जो ऐसे विधिक संबंधों से, चाहे वे संविदात्मक हों या न हों जो भारत में प्रवृत्त विधि के अधीन वाणिज्यिक समझे गए हों, उद्भूत हों और जहां पक्षकारों में से कम से कम एक—

* * * * *

(iii) ऐसी कोई कंपनी या संगम या व्यष्टि-निकाय है जिसका केन्द्रीय प्रबन्ध और नियंत्रण भारत से भिन्न किसी देश से किया जाता है; या

* * * * *

(2) यह भाग वहां लागू होगा जहां माध्यस्थम् का स्थान भारत में है। परिधि।

* * * * *

अध्याय 2

माध्यस्थम् करार

7. (1) * * * * * माध्यस्थम् करार।

(4) माध्यस्थम् करार लिखित रूप में है यदि वह,—

* * * * * *

(ख) पत्रों के आदान-प्रदान, टेलेक्स, तार या दूरसंचार के ऐसे अन्य साधनों में, जो करार के अभिलेख की व्यवस्था करते हैं, या

* * * * *

जहां माध्यस्थम् करार हो वहां माध्यस्थम् के लिए पक्षकारों को निर्दिष्ट करने की शक्ति।

8. (1) कोई न्यायिक प्राधिकारी, जिसके समक्ष किसी ऐसे मामले में ऐसा अनुयोग लाया जाता है, जो किसी माध्यस्थम् करार का विषय है, यदि कोई पक्षकार ऐसा आवेदन करता है जो उसके पश्चात् नहीं है जब वह विवाद के सार पर अपना प्रथम कथन प्रस्तुत करता है, तो वह पक्षकारों को माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट कर सकता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन को तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ मूल माध्यस्थम् करार या उसकी सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रति न हो।

* * * * *

न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय; आदि।

9. कोई पक्षकार, माध्यस्थम् कार्यवाहियों के पूर्व या उनके दौरान या माध्यस्थम् पंचाट किए जाने के पश्चात् किसी समय किंतु इससे पूर्व कि वह धारा 36 के अनुसार प्रवृत्त किया जाता है किसी न्यायालय को—

(i) माध्यस्थम् कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए किसी अप्राप्तव्य या विकृत चित्त व्यक्ति के लिए संरक्षक की नियुक्ति के लिए; या

(ii) निम्नलिखित विषयों में से किसी के संबंध में संरक्षण के किसी अंतरिम अध्युपाय के लिए, अर्थात्:—

(क) किसी माल का, जो माध्यस्थम् करार की विषय-वस्तु है, परिरक्षण, अंतरिम अभिरक्षा या विक्रय;

(ख) माध्यस्थम् में विवादग्रस्त रकम सुरक्षित करने;

(ग) किसी संपत्ति या वस्तु का, जो माध्यस्थम् में विषय-वस्तु या विवाद है या जिसके बारे में कोई प्रश्न उसमें उद्भूत हो सकता है, निरोध, परिरक्षण या निरीक्षण और पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए किसी पक्षकार के कब्जे में किसी भूमि पर या भवन में किसी व्यक्ति को प्रवेश करने देने के लिए प्राधिकृत करने, या कोई ऐसा नमूना लेने के लिए या कोई ऐसा संप्रेक्षण या प्रयोग कराए जाने के लिए जो पूर्ण जानकारी या साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हो, प्राधिकृत करने;

(घ) अंतरिम व्यादेश या किसी रिसीवर की नियुक्ति करने;

(ङ) संरक्षण का ऐसा अन्य अंतरिम उपाय करने जो न्यायालय को न्यायोचित और सुविधाजनक प्रतीत हो, के लिए आवेदन कर सकेगा;

और न्यायालय को आदेश करने की वही शक्तियां होंगी जो अपने समक्ष किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए और उसके संबंध में उसे हैं।

* * * * * *

मध्यस्थों की नियुक्ति।

11. (1) * * * * *

(4) यदि उपधारा (3) की नियुक्ति की प्रक्रिया लागू होती है और—

(क) कोई पक्षकार किसी मध्यस्थ को नियुक्त करने में, दूसरे पक्षकार से ऐसा करने के किसी अनुरोध की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर, असफल रहता है, या

(ख) दो नियुक्त मध्यस्थ अपनी नियुक्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होने में असफल रहते हैं,

तो नियुक्ति, किसी पक्षकार के अनुरोध पर, मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा या उसके द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की जाएगी।

(5) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी करार के न होने पर, एकमात्र मध्यस्थ वाले किसी माध्यस्थम् में, यदि पक्षकार किसी मध्यस्थ पर, एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार से किए गए किसी अनुरोध की प्राप्ति से तीस दिन के

भीतर इस प्रकार सहमत होने में असफल रहते हैं तो नियुक्ति, किसी पक्षकार के अनुरोध पर मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की जाएगी।

(6) जहां पक्षकारों द्वारा करार पाई गई किसी नियुक्ति की प्रक्रिया के अधीन,—

(क) कोई पक्षकार उस प्रक्रिया के अधीन अपेक्षित रूप में कार्य करने में असफल रहता है, या

(ख) पक्षकार अथवा दो नियुक्त मध्यस्थ, उस प्रक्रिया के अधीन उनसे अपेक्षित किसी करार पर पहुंचने में असफल रहते हैं, या

(ग) कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत कोई संस्था है, उस प्रक्रिया के अधीन उसे सौंपे गए किसी कृत्य का निष्पादन करने में असफल रहता है,

वहां कोई पक्षकार, मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति या संस्था से, जब तक कि नियुक्ति प्रक्रिया के किसी करार में नियुक्ति सुनिश्चित कराने के अन्य साधनों के लिए उपबंध न किया गया हो, आवश्यक उपाय करने के लिए अनुरोध कर सकता है।

(7) उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) के अनुसार मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था को सौंपे गए किसी विषय पर कोई विनिश्चय अंतिम होगा।

(8) किसी मध्यस्थ की नियुक्ति करने में मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था, निम्नलिखित का सम्यक् रूप से ध्यान रखेगी—

(क) पक्षकारों के करार द्वारा अपेक्षित मध्यस्थ की कोई अर्हता, और

(ख) अन्य बातें, जिनसे किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति सुनिश्चित किए जाने की संभावना है।

(9) किसी अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् में एकमात्र या तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति की दशा में, जहां पक्षकार विभिन्न राष्ट्रीयताओं के हैं वहां भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था, पक्षकारों की राष्ट्रीयता से भिन्न किसी राष्ट्रीयता वाला कोई मध्यस्थ नियुक्त कर सकेगी।

(10) मुख्य न्यायमूर्ति, कोई ऐसी स्कीम बना सकेगा जो वह उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) द्वारा उसे सौंपे गए विषयों के निपटारे के लिए समुचित समझे।

(11) जहां विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों या उनके पदाभिहितों से उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन एक से अधिक बार अनुरोध किया गया है, वहां केवल वही मुख्य न्यायमूर्ति या उसका पदाभिहित ही, जिससे सुसंगत उपधारा के अधीन प्रथम बार अनुरोध किया गया है, ऐसे अनुरोध की बाबत विनिश्चय करने के लिए सक्षम होगा।

(12) (क) जहां उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7), उपधारा (8) और उपधारा (10) में निर्दिष्ट विषय किसी अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् में उद्भूत होते हैं वहां उन उपधाराओं में ''मुख्य न्यायमूर्ति'' के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ''भारत के मुख्य न्यायमूर्ति'' के प्रति निर्देश है।

(ख) जहां उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7), उपधारा (8) और उपधारा (10) में निर्दिष्ट विषय किसी अन्य माध्यस्थम् में उद्भूत होते हैं वहां उन उपधाराओं में ''मुख्य न्यायमूर्ति'' के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के प्रति निर्देश है जिसकी स्थानीय परिसीमाओं के भीतर धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट प्रधान सिविल न्यायालय स्थित है और, जहां स्वयं उच्च न्यायालय ही उस खंड में निर्दिष्ट न्यायालय है, वहां उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के प्रति निर्देश है।

आक्षेप के लिए आधार।

12. (1) जहां किसी व्यक्ति से किसी मध्यस्थ के रूप में उसकी संभावित नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव किया जाता है वहां वह किसी ऐसी परिस्थिति को लिखित रूप में प्रकट करेगा जिससे उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित शंकाएं उठने की संभावना हो।

* * * * *

कार्य करने में असफलता या असंभवता।

14. (1) किसी मध्यस्थ का आदेश पर्यवसित हो जाएगा, यदि वह,—

(क) विधित: या वस्तुत: अपने कृत्यों का पालन करने में असफल हो जाता है या अन्य कारणों से असम्यक् विलम्ब के बिना कार्य करने में असफल रहता है, और

(ख) अपने पद से हट जाता है या पक्षकार उसके आदेश की समाप्ति के लिए करार कर लेते हैं।

* * * * *

माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा आदिष्ट अंतरिम उपाय।

17. (1) जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न किया गया हो, माध्यस्थम् अधिकरण, किसी पक्षकार के अनुरोध पर, किसी पक्षकार को संरक्षण का कोई ऐसा अंतरिम उपाय करने के लिए जैसा माध्यस्थम् अधिकरण विवाद की विषय-वस्तु के संबंध में आवश्यक समझे, आदेश दे सकेगा।

(2) माध्यस्थम् अधिकरण, किसी पक्षकार से उपधारा (1) के अधीन आदिष्ट उपाय के संबंध में समुचित सुरक्षा का उपबंध करने की अपेक्षा कर सकेगा।

* * * * *

सुनवाई और लिखित कार्यवाहियां।

24. (1) जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न किया गया हो, माध्यस्थम् अधिकरण, यह विनिश्चय करेगा कि क्या साक्ष्य की प्रस्तुति के लिए मौखिक सुनवाई की जाए या मौखिक बहस की जाए या क्या कार्यवाहियां दस्तावेजों और अन्य सामग्री के आधार पर संचालित की जाएंगी :

परन्तु, माध्यस्थम् अधिकरण, किसी पक्षकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर कार्यवाहियों के उचित प्रक्रम पर मौखिक सुनवाई करेगा जब तक कि पक्षकारों द्वारा यह करार न किया गया हो कि कोई मौखिक सुनवाई नहीं की जाएगी।

* * * * *

किसी पक्षकार का व्यतिक्रम।

25. जब तक कि पक्षकरों द्वारा अन्यथा करार न किया गया हो, जहां पर्याप्त हेतुक दर्शित किए बिना,—

* * * * * *

(ख) प्रत्यर्थी धारा 23 की उपधारा (1) के अनुसार प्रतिरक्षा का अपना कथन संसूचित करने में असफल रहता है, वहां माध्यस्थम् अधिकरण, उस असफलता को दावेदार द्वारा किए गए अभिकथन के स्वयं में स्वीकृति के रूप में माने बिना कार्यवाहियों को चालू रखेगा;

* * * * *

अध्याय 6

माध्यस्थम् पंचाट का दिया जाना और कार्यवाहियों का समापन

विवाद के सार को लागू नियम।

28. (1) * * * * *

(3) सभी मामलों में, माध्यस्थम् अधिकरण, संविदा के निबंधनों के अनुसार विनिश्चय करेगा और संव्यवहार को लागू व्यापार की प्रथाओं को ध्यान में रखेगा।

* * * * *

माध्यस्थम् पंचाट का प्ररूप और उसकी विषय-वस्तु।

31. (1) * * * * *

(7) (क) * * * * *

(ख) उस राशि पर, जिसका संदाय किए जाने का माध्यस्थम् पंचाट द्वारा निदेश किया गया है, जब तक कि पंचाट में अन्यथा निदेश न किया गया हो, पंचाट की तारीख से संदाय किए जाने की तारीख तक, अठारह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज संदेय होगा।

* * * * *

(8) जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न पाया गया हो—

(क) माध्यस्थम् का खर्च माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा नियत किया जाएगा;

(ख) माध्यस्थम् अधिकरण निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करेगा,—

(i) खर्चे का हकदार पक्षकार,

(ii) वह पक्षकार, जो खर्च का संदाय करेगा,

(iii) खर्च की रकम या उक्त रकम अवधारित करने की पद्धति, और

(iv) वह रीति, जिससे खर्चे का संदाय किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—खंड (क) के प्रयोजन के लिए, ''खर्च'' से निम्नलिखित से संबंधित उचित खर्च अभिप्रेत हैं—

(i) मध्यस्थों और साक्षियों की फीस और व्यय,

(ii) विधिक फीस और व्यय,

(iii) माध्यस्थम् का पर्यवेक्षण करने वाली संस्था की प्रशासन-फीस, और

(iv) माध्यस्थम् कार्यवाहियों ओर माध्स्थम् पंचाट के संबंध में उपगत कोई अन्य व्यय।

* * * * * *

अध्याय 7

माध्यस्थम् पंचाट के विरुद्ध उपाय

माध्यस्थम् पंचाट अपास्त करने के लिए आवेदन।

34. (1) * * * * *

(2) कोई माध्यस्थम् पंचाट न्यायालय द्वारा तभी अपास्त किया जा सकेगा, यदि—

* * * * *

(ख) न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि—

(i) विवाद की विषय-वस्तु, तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन माध्यस्थम् द्वारा निपटाए जाने योग्य नहीं है; या

(ii) माध्यस्थम् पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध है।

स्पष्टीकरण—उपखंड (ii) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी शंका को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि कोई पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध है यदि पंचाट का दिया जाना कपट या भ्रष्ट आचरण द्वारा उत्प्रेरित या प्रभावित किया गया था या धारा 75 अथवा धारा 81 के अतिक्रमण में था।

* * * * *

प्रवर्तन।

36. जहां धारा 34 के अधीन माध्यस्थम् पंचाट को अपास्त करने के लिए, आवेदन करने का समय समाप्त हो गया है या ऐसा आवेदन किए जाने पर, उसे नामंजूर कर दिया गया है, वहां पंचाट, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन उसी रीति से प्रवर्तित किया जाएगा मानो वह न्यायालय की डिक्री हो।

1908 का 5

अध्याय 9

अपीलें

अपीलनीय आदेश।

37. (1) निम्नलिखित आदेशों से (न कि अन्यों से) कोई अपील उस न्यायालय में होगी जो आदेश पारित करने वाले न्यायालय की मूल डिक्रियों से अपील सुनने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हो, अर्थात्:—

(क) धारा 9 के अधीन किसी उपाय को मंजूर करना या मंजूर करने से इंकार करना;

(ख) धारा 34 के अधीन माध्यस्थम् पंचाट अपास्त करना या अपास्त करने से इंकार करना।

* * * * *

साक्ष्य।

47. (1) * * * * *

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन पेश किए जाने के लिए अपेक्षित पंचाट या करार विदेशी भाषा में है, तो पंचाट का प्रवर्तन चाहने वाला पक्षकार अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद पेश करेगा जो उस देश के, जिसका कि वह निवासी है, राजनयिक या कौंसलीय अभिकर्ता द्वारा सही प्रमाणित होगा या वह ऐसी अन्य रीति से सही प्रमाणित होगा जो भारत में प्रवृत्त विधि के अनुसार पर्याप्त हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा में और इस अध्याय की निम्नलिखित सभी धाराओं में, ''न्यायालय'' से किसी जिले में आरंभिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अपनी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाला ऐसा उच्च न्यायालय भी है जो पंचाट की विषय-वस्तु होने वाले प्रश्नों का, यदि वे वाद की विषय-वस्तु होते तो, विनिश्चय करने की अधिकारिता रखता, किन्तु ऐसे प्रधान सिविल न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई सिविल न्यायालय या कोई लघुवाद न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आता है।

विदेशी पंचाट के प्रवर्तन के लिए शर्तें।

48. (1) * * * * *

(2) किसी माध्यस्थम् पंचाट का प्रवर्तन करने से उस दशा में भी इंकार किया जा सकेगा जबकि न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि—

(क) मतभेद की विषय-वस्तु का निपटारा भारत की विधि के अधीन माध्यस्थम् द्वारा नहीं किया जा सकता है; या

(ख) पंचाट का प्रवर्तन भारत की लोक नीति के विरुद्ध होगा।

स्पष्टीकरण—खण्ड (ख) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी शंका को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि कोई पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध होगा यदि पंचाट का किया जाना कपट या भ्रष्टाचार द्वारा उत्प्रेरित या प्रभावित किया गया था।

* * * * *

साक्ष्य।

56. (1) किसी विदेशी पंचाट को प्रवर्तित कराने के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार, आवेदन करते समय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित पेश करेगा—

(क) मूल पंचाट या जिस देश में वह दिया गया था, उस देश की विधि द्वारा अपेक्षित रीति से सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित उसकी प्रति;

(ख) यह साबित करने के लिए साक्ष्य कि पंचाट अंतिम हो गया है, तथा

(ग) ऐसा साक्ष्य जो यह साबित करने के लिए आवश्यक हो कि धारा 57 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ग) में वर्णित शर्तों की पूर्ति हो जाती है।

(2) जहां कि उपधारा (1) के अधीन पेश करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज विदेशी भाषा में है वहां पंचाट का प्रवर्तन चाहने वाला पक्षकार अंग्रेजी भाषा में उसका ऐसा अनुवाद पेश करेगा जो उस देश के राजनयिक या कौंसलीय अभिकर्ता ने, जिस देश का वह पक्षकार है, यह प्रमाणित किया है कि वह सही अनुवाद है या जिसकी बाबत ऐसी अन्य रीति से यह प्रमाणित किया गया है कि वह सही अनुवाद है जो भारत में प्रवृत्त विधि के अनुसार पर्याप्त हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा में और इस अध्याय की निम्नलिखित सभी धाराओं में, ''न्यायालय'' से किसी जिले में आरंभिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अपनी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाला ऐसा उच्च न्यायालय भी है जो पंचाट की विषय-वस्तु होने वाले प्रश्नों का, यदि वे वाद की विषय-वस्तु होते तो विनिश्चय करने की अधिकारिता रखता, किन्तु ऐसे प्रधान

सिविल न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई सिविल न्यायालय या कोई लघुवाद न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आता है।

विदेशी पंचाट के प्रवर्तन के लिए शर्तें।

57. (1) इस वास्ते कि विदेशी पंचाट इस अध्याय के अधीन प्रवर्तनीय हो यह बात आवश्यक होगी कि—

(क) पंचाट उस माध्यस्थम् के निवेदन के अनुसरण में किया गया है जो उस विधि के अधीन विधिमान्य हो, जो उसे लागू है;

(ख) पंचाट की विषय-वस्तु ऐसी है जिसका भारत की विधि के अधीन माध्यस्थम् द्वारा निपटारा किया जा सकता हो;

(ग) पंचाट उस माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किया गया हो जिसके बारे में माध्यस्थम् के निवेदन में उपबंध किया गया हो या जिसका गठन पक्षकारों द्वारा करार पाई गई रीति से हुआ है और उस विधि के अनुसार किया गया हो जो माध्यस्थम् प्रक्रिया के संबंध में लागू हो;

(घ) पंचाट उस देश में, जिसमें उसे दिया गया है, इस अर्थ में अंतिम हो गया हो कि उस पर इस रूप में विचार नहीं किया जा सके यदि उसका विरोध करने या उसके विरुद्ध अपील करने की स्वतंत्रता है या यह साबित कर दिया जाता है कि पंचाट की विधिमान्यता को चुनौती देने के प्रयोजन के लिए कोई कार्यवाहियां लंबित हैं;

(ङ) पंचाट का प्रवर्तन, भारत की लोक नीति या विधि के प्रतिकूल नहीं है।

स्पष्टीकरण—खण्ड (ङ) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी शंका को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि कोई पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध है यदि पंचाट का दिया जाना कपट या भ्रष्टाचार द्वारा उत्प्रेरित या प्रभावित किया गया था।

* * * * *

GMGIPMRND—2975LS(S3)—27.11.2015.

माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
1	विधेयक के संक्षिप्त शीर्षक और वृहत शीर्षक में "अध्यादेश" के स्थान पर "विधेयक" पढ़ें ।		
1	2	इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015 है ।	इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 है ।
1	3	यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।	यह 23 अक्तूबर, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।
2	20	अध्यादेश	अधिनियम
2	22	"दूरसंचार	"या दूरसंचार
3	40	अधीन एक से अधिक बार	अधीन पहली बार
3	42	से एक से अधिक बार	से पहली बार
5	21	अध्यादेश	अधिनियम
5	23	जाएगा"	जाएगा यदि वह"
10	8	पर साक्ष्य	पर या साक्ष्य
13	25	एक की मामले	एक पक्षकार की मामले
17	20	माध्यस्थम्	"माध्यस्थम्
17	21	संशोधन की समीक्षा और	संशोधन" की समीक्षा की और
17	35	संशोधन	(संशोधन)
18	7	माध्यस्थ	माध्यस्थम्
19	2	माध्यस्थम् सुलह	माध्यस्थम् और सुलह
19	5	भेले ही	भले ही
21	2	संबंध में में	संबंध में
21	21	निषेधाज्ञा	रोक आदेश